

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती गीता कोड़ा, एवं श्रीमती जोबा मांझी स०वि०स०	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-7/ जि० पु०-102/2001 खण्ड का 0- 5197 दिनांक- 26.09. 2008 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला में जगन्नाथपुर अनुमण्डल का सृजन हुआ है। वर्ष 2008 से अनुमण्डल कार्यालय का कार्य प्रखण्ड मुख्यालय के परिसर में पंचायत मण्डप में चल रहा है। अनुमण्डल कार्यालय भवन 2013 में बन कर तैयार है। परन्तु कार्यकारी एजेन्सी विभाग हस्तगत नहीं कराया गया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी की आवासीय भवन भी नहीं है। अनुमण्डल कार्यालय को चलाने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यालय दण्डाधिकारी, अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी, प्रधान लिपिक, लिपिक, स्टेनो, कम्प्युटर ऑपरेटर, जीप चालक, अनुसेवक, खानशामा, रात्रि प्रहरी, झाडुदार एवं माली की पद स्वीकृत नहीं होने से नियुक्ति नहीं किया जा सका है। कार्यालय का काम निष्पादन हेतु एक प्रधान लिपिक, तीन अन्य लिपिक एवं उर्दू अनुवादक, एक जीप चालक, 4 अनुसेवक प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जा रहा है। अतः सरकार से जगन्नाथपुर अनुमण्डल कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से कार्य निष्पादन के लिए शीघ्र अनुमण्डल कार्यालय में आवश्यक कार्य बलों का पद सृजित करने तथा प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन उपलब्ध करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ०पृ०३०

01.	02.	03.	04.
02-	श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड के हरिजन स्कूल करियातपुर मोड़ से फोरलेन बांझेडीह रोड जिला कोडरमा भाया गुड़िया विजैया होते हुए पथ जो अभी ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत है, यह रोड जनहित में अतिपयोगी है, जिसकी लम्बाई 30 कि0मी0 है, इसे पथ निर्माण विभाग अधिग्रहित कर पथ निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पथ निर्माण
03-	सर्वश्री विकास कुमार मुण्डा, केदार हजरा एवं श्री अशोक कुमार स0वि0स0	<p>पथ प्रमण्डल रामगढ़ के अन्तर्गत रजरप्पा से धोबिया जारा तक तीन उच्च स्तरीय पुल सहित के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 7628 (S)WE, दिनांक- 05.11.2015 के द्वारा मेसर्स सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन BCCPL(IV) Hazaribagh, को आवंटित किया गया। संवेदक द्वारा एकरारनामा हेतु समुचित राशि का बैंक गारंटी एवं Fixed Deposite, दिनांक- 26.11.2015 को जमा किया गया है। संवेदक द्वारा समर्पित Bank Certificate(Credit Facilities/Overdraft), केनरा बैंक, मुख्य शाखा, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना का सत्यापन हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, रामगढ़ के पत्रांक- 1229, दिनांक- 08.12.2015 एवं पत्रांक- 1350, दिनांक- 28.12.2015 के द्वारा पत्राचार किया गया। तत्पश्चात उक्त बैंक द्वारा पत्र गलत ढंग से पत्रांक- PTMN:BG:ADV:700:CNF:2015, दिनांक- 16.01.2016 को भेजा गया। बैंक से संपर्क स्थापित करने के उपरांत बैंक के द्वारा Address, सुधार कर दिनांक- 29.01.2016 को Email ID द्वारा पत्र भेजा गया। जिसमें Bank Certificate निर्गत नहीं होने का उल्लेख किया गया।</p> <p>अतः मैं एकरारनामा के शर्त के अनुसार फर्जी Bank Certificate संलग्न करने के विरुद्ध संवेदक को आवंटित कार्य रद्द करने, अनुशासनिक एवं दण्डनात्मक कार्रवाई करते हुए काली सूची में दर्ज कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	पथ निर्माण
04-	सर्वश्री दशरथ गागराई, जगरनाथ महतो एवं श्री बादल स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खूंटपानी की व्यवस्था चरमरा गयी है। यहाँ तैनात डॉक्टर रात को ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। नर्सों के सहारे केन्द्र को छोड़ दिया जाता है। विगत 15 फरवरी को रात्रि में मोमबत्ती की रोशनी से गर्भवती महिलाओं का प्रसव किया गया है। इसके पूर्व भी ऐसी घटना हुई है जिसकी सूचना उपायुक्त/सिविल सर्जन चाईबासा को दी गयी थी जिसपर चिकित्सकों को शोकॉज किया गया	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		<p>था, परंतु कार्रवाई नहीं की गयी। वर्तमान में उक्त केन्द्र की स्थिति चिकित्सकों के लापरवाही से बिल्कुल दयनीय हो गयी है।</p> <p>अतएव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खूंटपानी के चिकित्सकों पर कार्रवाई हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	
05-	श्री शशि भूषण सामाई एवं श्री अमित कुमार स0वि0स	<p>झारखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को 6 माह से कम अवधि तक जेल में रहनेवालों को 3000/- तथा इससे अधिक समयावधि वालों को 6000/- रु0 मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को कभी मुख्यमंत्री द्वारा तथा कभी उपायुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है जो कि आंदोलनकारियों का घोर अपमान है। आंदोलनकारियों के संबंध में गृह विभाग को बी0सी0सी0 एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार से पत्राचार करने हेतु निर्देश दिये जाने के बावजूद इसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वर्ष 2013 में मंत्रिमंडल द्वारा आंदोलनकारियों को पेंशन देने हेतु राशि मंजूर की गयी थी किन्तु विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण राशि व्यापगत हो गयी। वर्तमान में आंदोलनकारियों को पेंशन देने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया जा रहा है।</p> <p>अतएव उपर्युक्त विषय पर बिहार सरकार से बी0सी0सी0 एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्राचार करने, आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र सरकार के स्तर से देने, अविलम्ब आंदोलनकारियों को चिन्हित करने, पेंशन हेतु बजट में राशि प्रावधान करने तथा राशि व्यापगत करनेवाले एवं बी0सी0सी0 एक्ट के तहत पत्राचार नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन

राँची,
दिनांक- 23 फरवरी, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-.....१३०७/वि० स०, राँची, दिनांक-२०/०२/१६

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
२०/०२/१६
(नीलेश रंजन)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-.....१३०७/वि० स०, राँची, दिनांक-२०/०२/१६

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
२०/०२/१६

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

७/७
२०/०२